

पीठासीन अधिकारी: आर. के. मीना, अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 3/2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा ।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: श्री नरेश कुमार महावर अधिवक्ता गैर सायल उपस्थित ।

—: निर्णय :—

दिनांक:— 24.12.2021

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी उम्र 34 वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. मु. सं. 45/18 दिनांक 1.4.2018 धारा 13 RPGO थाना मण्डावर जिला दौसा सजा 7.4.2018
2. मु. सं. 116/18 दिनांक 17.7.18 धारा 13 RPGO थाना मण्डावर जिला दौसा सजा 20.7.2018

उक्त शख्स हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी उम्र 34 वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा जुआ-सट्टा करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा के विरुद्ध इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 5 के अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित आया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार महावर द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित दो मुकदमे थाना मण्डावर में दर्ज होकर गैर सायल को सजा हो चुकी है। उक्त शख्स राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत अभ्यस्थ अपराधी होना पाया जाता है, जो जूर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। जो कि जुआ-सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। यह व्यक्ति लोगों को डराता धमकाता है। आम लोग भय के कारण इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते हैं ना ही गवाही देते हैं। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी उम्र 34 वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा की आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी उम्र 34 वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

3/2019, गुण्डा एक्ट

अधिवक्ता गैर सायल ने जवाब बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी गुण्डा एक्ट जैसी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहा है। प्रार्थी के विरुद्ध जो मात्र दो मुकदमों का विवरण दिया गया है उनके सम्बन्ध में प्रार्थी का यह निवेदन है कि प्रार्थी ने कभी कोई जुआ नहीं खेला है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो मेहनत-मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाता है। प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को करीब तीन वर्ष का समय हो गया है इस अवधि में प्रार्थी के विरुद्ध किसी अन्य अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार के मामलों से अपनी दूरी बनाकर रखेगा। अधिवक्ता गैर सायल द्वारा गैर सायल के विरुद्ध संचालित गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन किया गया।

बहस लोक अभियोजक व अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी उम्र 34 वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में दर्ज दो मुकदमों में गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री सोनाराम जाति सैनी उम्र 34 वर्ष निवासी कुम्हार मौहल्ला मण्डावर थाना मण्डावर जिला दौसा को दिनांक 27.12.2021 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचकर अपनी उपस्थिति थानाधिकारी राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र राजगढ में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आर. के. मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(आर. के. मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

दौसा